तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
22/9/2020	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 21/10/20 को पेश हो।
21/10/2020	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश हुआ। तामील जारी होकर पत्रावली दिनांक 8/12/2020 को पेश हो।
8/12	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 28/1/21 को पेश हो।
28/1	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O [illegible] पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/3/21 को पेश हो।
9/3/2021 शीशाराम मनोहर प. पन्नाराम [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने सह खातेदार मनोहर लाल का शपथ पत्र पेश किया। शामिल मिसल किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो।
15/03/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामील अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम शीशराम पुत्र पन्नाराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम दालाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Ku
Date: 2021.03.29 17:57:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 226 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मूल निवास, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम शीशराम पुत्र पन्नाराम है, सह खातेदार मनोहर पुत्र पन्नाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार मनोहर पुत्र पन्नाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दाताराम पुत्र पन्नाराम अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम शीशराम पुत्र पन्नाराम है की पुष्टि राजस्व ग्राम मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 226 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मूल निवास, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार मनोहर पुत्र पन्नाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्ढोली तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 164 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **दाताराम पुत्र पन्नाराम** के स्थान पर **शीशराम पुत्र पन्नाराम** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Ve
Digitally signed by Bre
Date: 2021.03.29 17:
Reason: SelfAttested